


सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ४ के अंतर्गत सूचनायें

**Morena  
(Madhya Pradesh)**



मध्यप्रदेश की अंतिम उत्तरी सीमा पर स्थित सुरम्य चम्बल घाटी के अंचल में मुरैना जिला आपका स्वागत करता है



KAKAN MATH TEMPLE SIHONIYAN

प्रकाशक

जिला जनसंपर्क कार्यालय


म.प्र. शासन

मारकण्डेश्वर बाजार , जिला मुरैना म.प्र.

पिन कोड ४७६००१, दूरभाष क्रमांक ०७५३२—२२६५१३

ई पता : [promorena@sancharnet.in](mailto:promorena@sancharnet.in)

**मध्य प्रदेश शासन**  
**जिला जनसंपर्क कार्यालय मुरैना (म.प्र.)**  
**सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ४.१ (बी) (१) के तहत**  
**बिन्दु क्रमांक—१ की जानकारी**



**मध्य प्रदेश शासन**  
**जिला जनसंपर्क कार्यालय मुरैना (म.प्र.)**  
**सूचना का अधिकार अधिनियम ४ (बी) (२) के तहत जानकारी**  
**बिन्दु क्रमांक—२ (१)**  
कार्यालय के प्रत्येक विभाग/कक्ष/शाखा के कार्य एवं कर्तव्य

सं. क्र.	शाखा का नाम	शाखा का कार्य
१	समाचार शाखा	विकास एवं उपलब्धियों के समाचार जारी करने संबंधी समस्त कार्य ।
२	समाचार पत्र शाखा	स्थानीय समाचार पत्रों की पूर्ण जानकारी ।
३	पत्रकार शाखा	जिले के पत्रकारों की जानकारी एवं पत्रकाओं को सुविधाएँ सम्बंधी कार्य ।
४	पत्र कतरन शाखा	समाचार पत्रों के प्रकाशित संभाग एवं जिले से संबंधित आवश्यक समाचारों की कटिंग करवाकर आयुक्त, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को भेजना ।
५	क्षेत्र प्रचार शाखा	विकास एवं उपलब्धियों संबंधी प्रदर्शनियों एवं सूचना शिविरों का आयोजन करना ।
६	स्थापना, एवं लेखा शाखा	स्थापना एवं लेखा संबंधी समस्त कार्य ।
७	भण्डार शाखा	कार्यालय की सम्पत्तियों संबंधी जानकारी ।

## मध्य प्रदेश शासन

### जिला जनसंपर्क कार्यालय मुरैना (म.प्र.)

**सूचना का अधिकार अधिनियम ४ (बी) (२) के तहत जानकारी**

#### बिन्दु क्रमांक—२ (२)

**कार्यालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के कार्य एवं कर्तव्य वितरण संबंधी जानकारी**

सं. क्र.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	कुल पारिश्रामिक/ परिलक्षियों (मासिक)	कार्य एवं कर्तव्य
१	रवि शंकर शर्मा	उप संचालक	२०८०३/-	कार्यालय का प्रशासन, नियंत्रण एवं आहरण संवितरण अधिकार
२	एन.के. गौरी	सहायक ग्रेड—२	९७८९/-	कार्यालय की स्थापना एवं लेखा संबंधी कार्य ।
३	रामनिवास सिंह टुण्डेलकर	स्टेनो टाइपिस्ट	५९२९/-	कम्प्यूटर संचालन, समाचार शाखा, पत्रकारों, स्थानीय समाचार पत्रों संबंधी समस्त कार्य ।
४	मुन्ना खाँ	सिनेमा आपरेटर	७६३२/-	आवक—जावक शाखा, क्षेत्र प्रचार एवं भंडार संबंधी कार्य ।
५	मातादीन	वाहन चालक	६९६४/-	कार्यालय वाहन चालन (वर्तमान में रीडिप्लाइड होकर कलेक्टर कार्यालय मुरैना में पदस्थ)
६	राजेन्द्र कुमार	भृत्य	४६४१/-	समाचार कटिंग समाचार व अन्य डाक वितरण एवं कोषालयीन कार्य ।
७	अब्दुल जलील खाँ	चौकीदार	५०२०/-	कार्यालय एवं उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा ।

**मध्य प्रदेश शासन**  
**जिला जनसंपर्क कार्यालय मुरैना (म.प्र.)**  
**सूचना का अधिकार अधिनियम ४.१ (बी) (३) के तहत जानकारी**  
**बिन्दु क्रमांक—३**  
कार्यालय में फाइल संचालन की प्रक्रिया विधि

(क) प्रत्येक कार्यवाही योग्य फाइल संबंधित शाखा प्रभारी द्वारा उप संचालक जन संपर्क के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जिस पर उपसंचालक द्वारा आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। तदनुसार संबंधित शाखा द्वारा फाइल की विषयवस्तु के आधार पर नोटशीट तैयार की जाकर आवश्यक आदेश हेतु उप संचालक के समक्ष पुनः प्रस्तुत की जाती है और फाइल के गुण धर्म के अनुसार आवश्यक निर्णय लेकर उचित आदेश जारी किया जाता है।



(ख) फाइल के चेनल और हैण्डलिंग अधिकारी/कर्मचारी प्रत्येक स्तर पर :—  
 चूंकि कार्यालय में अधिक शाखाएं व स्टाफ की बहुतायत नहीं है अतः सीधे ही संबंधित शाखा प्रभारी एवं उप संचालक के मध्य ही फाइल गुजरती है और उसका निराकरण हो जाता है।

- (ग) निर्णय लेने का अधिकार :—  
 प्रत्येक निर्णय लेने हेतु केवल उप संचालक, जन संपर्क ही प्राधिकृत है।
- (घ) सुपरावाइजरी प्राधिकारी :—  
 संबंधित शाखा प्रभारी।
- (ङ) जबावदेही :—  
 संबंधित शाखा प्रभारी एवं उपसंचालक जनसंपर्क।

**मध्य प्रदेश शासन**  
**जिला जनसंपर्क कार्यालय मुरैना (म.प्र.)**  
**सूचना का अधिकार अधिनियम ४.१ (बी) (४) के तहत जानकारी**  
**बिन्दु क्रमांक—४**

४ (अ) शासन द्वारा कार्यालय का समय — प्रातः १०:३० बजें से सायं ५:३० बजें तक ।  
समय सीमा बद्ध कार्य विवरण :-

स.क्र.	कार्य का विवरण	समय सीमा
१	पत्रकारों को अभिस्वीकृति संबंधी नियम/आवेदन संबंधी वर्ष के अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची संबंधी जानकारी	३० दिवस
२	विज्ञापन की अनुमोदित सूची में शामिल करने संबंधी प्रावधान आवेदन तथा विज्ञापन सूची में शामिल समाचार पत्रों के नाम संबंधी जानकारी ।	३० दिवस
३	पत्रकारों को चिकित्सा सहायता संबंधी प्रावधान ।	३० दिवस ।

४ (ब) निरंक ।  
 ४ (स) निरंक ।

## मध्य प्रदेश शासन

### जिला जनसंपर्क कार्यालय मुरैना (म.प्र.)

सूचना का अधिकार अधिनियम ४.१ (बी) (५) के तहत जानकारी

#### बिन्दु क्रमांक—५

कार्यालय के संचालन/संगठन/कार्य/कर्तव्य संबंधी अधिनियमों/मेन्यूअलों/परिपत्रों/नियमों के संबंध में जानकारी :—

(अ) संबंधित अधिनियम —

इस कार्यालय के सामान्य काम काज संचालन हेतु शासन के अन्य शासकीय कार्यालयों के संचालन संबंधी प्रावधान ही लागू है पृथक से कोई अधिनियम उपलब्ध नहीं है। मुख्यतः यह कार्यालय शासन की जनकल्याण कारी व लोकोपयोगी योजनाओं/नीतियों/समाचारों/सूचनाओं के प्रचार प्रसार एवं आम जनता को शासन की गतिविधियों से संबंधित जानकारियों व सूचनाएँ समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु कार्यरत है। प्रत्येक योजना हेतु पृथक से नियम व अधिनियम उपलब्ध रहते हैं। इस कार्यालय में मुख्यतः प्रचार—प्रसार संबंधी कार्य ही प्रधान है। अतः कोई पृथक अधिनियम उपलब्ध नहीं है।

वर्तमान में सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ इस कार्यालय में भी लागू है।

(ब) संबंधित नियम :—

इस कार्यालय में शासन के अन्य शासकीय कार्यालयों की भाँति कार्यालय संचालन हेतु समस्त नियम प्रचलित व लागू है तथा कार्यालय में उपलब्ध जनोपयोगी व लोक हितकारी सूचनाओं को प्रत्येक —

१— कोई भी जनसामान्य/पत्रकार/जनप्रतिनिधि कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएँ तथा जानकारियों प्राप्त करने हेतु प्रत्येक साधारण कार्यदिवसों में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकता है और उपलब्ध सूचनाएँ प्राप्त कर सकता है।

२— पत्रकारों की जिला स्तरीय अधिमान्यता हेतु समिति जनसंपर्क कार्यालय ग्वालियर में एवं संभाग स्तरीय अधिमान्यता हेतु समिति जनसंपर्क संचालनालय भोपाल में गठित है। इस संबंध में पत्रकारों से प्राप्त आवेदन आगे की कार्यवाही हेतु यथास्थान अग्रेषित किये जाते हैं, जिन पर जन संपर्क संचालनालय भोपाल एवं जनसंपर्क कार्यालय ग्वालियर में गठित इस संबंधी समिति द्वारा उचित निर्णय लिया जाता है। प्राप्त निर्णय से संबंधित आवेदक को इस कार्यालय द्वारा अवगत करा दिया जाता है।

३— प्रत्येक पंजीकृत समाचार पत्र/पत्रिका द्वारा जिला स्तर पर नियुक्त किये जाने वाले सम्बाददाता/पत्रकार के संबंध में संबंधित समाचार पत्र/पत्रिका के प्राधिकृत नियुक्ति कर्ता का नियुक्ति अनुमोदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त होने व समुचित पृष्ठि उपरांत इस कार्यालय में रखी जाने वाली पत्रकारों की सूची में संबंधित पत्रकार/सम्बाददाता को सूचीबद्ध कर सूची तैयार की जाती है।

(स) कार्यालय संबंधी विनियम शासन द्वारा शासकीय कार्यालयों के संबंध में लागू समस्त विनियम अन्य समस्त कार्यालयों की भाँति लागू है। पृथक से कोई विनियम उपलब्ध नहीं है।

(द) कार्यालय संबंधी मैन्यूअल व परिपुस्तिकाएँ— इस कार्यालय के संचालन हेतु पृथक से कोई मैन्यूअल या परिपुस्तिका नहीं है।

(इ) कार्यालय संबंधी परिपत्र विवरण :— १— कलेक्टर जिला मुरैना का सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ का क्रियान्वयन संबंधी परिपत्र क्रमांक एसटी/एडीएम/सू.अधि./अधि—०५/३६ मुरैना, दिनांक ५.९.२००५। २—म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल का सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ के क्रियान्वयन के संबंध में परिपत्र क्रमांक एफ ११—२४/०५/०१/९ भोपाल दिनांक १३.९.२००५।

**मध्य प्रदेश शासन**  
**जिला जनसंपर्क कार्यालय मुरैना (म.प्र.)**  
**सूचना का अधिकार अधिनियम ४.१ (बी) (६) के तहत जानकारी**  
**बिन्दु क्रमांक—६**

कार्यालय के नियंत्रण में एवं संधारित दस्तावेजों/सूचनाओं का वर्गीकरण संबंधी जानकारी

स.क्र.	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार	अभिलेख की प्रकृति	अभिलेख की स्थिरता
१	२	३	४	५
१	स्थानीय समाचार पत्र	पंजी/नस्ती	जिले से प्रकाशित समाचार पत्रों की जानकारी	स्थाई
२	पत्रकार सुविधा	नस्ती	पत्रकारों को शासन स्तर से दी जाने वाली सुविधा एवं पत्रकारों की सूची।	स्थाई
३	समाचार	पंजी/नस्ती	प्रतिदिन जारी होने वाले समाचार	स्थाई
४	स्थापना एवं लेखा	पंजियां/नस्तियां	स्थापना संबंधी विभिन्न कार्य व लेखा संबंधी विभिन्न देयक	स्थाई
५	भण्डार	पंजी	कार्यालय की सामग्री / सम्पत्तियों की जानकारी	स्थाई

मध्य प्रदेश शासन  
जिला जनसंपर्क कार्यालय मुरैना (म.प्र.)  
सूचना का अधिकार अधिनियम ४.१ (बी) (७) के तहत जानकारी  
बिन्दु क्रमांक—७

१— कार्यालय के संबंध में परामर्श दात्री एवं जन भागीदारी/जनप्रतिनिधियों की भागीदारी संबंधी जानकारी :—

इस कार्यालय में जन सामान्य अथवा जनप्रतिनिधियों की भागीदारी या परामर्श दात्री समितियों व सलाहकार समितियों के गठन का प्रावधान नहीं है।

२— लागू नहीं है।

मध्य प्रदेश शासन

## जिला जनसंपर्क कार्यालय मुरैना (म.प्र.)

सूचना का अधिकार अधिनियम ४१ (बी) (ए) के तहत जानकारी

## बिन्दु क्रमांक—८

- १- कार्यालय के बोर्ड परिषद समितियों/सदस्यों तथा उनकी योग्यता आदि की जानकारी :-

इस कार्यालय में बोर्ड/परिषद्/समितियों आदि के गठन का प्रावधान नहीं है। अतः जानकारी निरंक है।

- २— सूचनाओं का क्रम :— लागू नहीं। जानकारी निरंक।

३— चार्टर/संस्था की प्रविधियाँ/विधान आदि संबंधी जानकारी :— शासकीय कार्यालय होने से लागू नहीं जानकारी निरंक।

४— शासकीय निर्देश बैठकों संबंधी :— शासकीय कार्यालय होने से लागू नहीं जानकारी निरंक।

५— जन सामान्य के लिये है अथवा नहीं — शासकीय कार्यालय होने से लागू नहीं जानकारी निरंक।

६— बैठकों/कार्यवाहियों संबंधी विवरण :— शासकीय कार्यालय होने से लागू नहीं जानकारी निरंक।

**मध्य प्रदेश शासन**  
**जिला जनसंपर्क कार्यालय मुरैना (म.प्र.)**  
**सूचना का अधिकार अधिनियम ४.१ (बी) (९) के तहत जानकारी**  
**बिन्दु क्रमांक—९**  
**कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा नियोजितों की सूची**

स. क्र.	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पदनाम	पता
१	श्री रवि शंकर शर्मा	उप संचालक	सी.एफ.४, चंबल कॉलोनी मुरैना फोन नं. २३२७७०
२	श्री एन.के. गौरी	सहायक ग्रेड—२	इस्लामपुरा मुरैना
३	श्री रामनिवास सिंह टुण्डेलकर	स्टेनो टाइपिस्ट	न्यू गॉथी कॉलोनी मुरैना
४	श्री मुन्ना खाँ	सिनेमा आपरेटर	गणेशपुरा मुरैना
५	श्री मातादीन	वाहन चालक	बड़ोखर मुरैना
६	श्री राजेन्द्र कुमार	भृत्य	दत्तपुरा मुरैना
७	श्री अब्दुल जलील खाँ	चैकीदार	गणेशपुरा मुरैना
८	श्री ऐसेन्द्र सिंह भदौरिया	अंशकालीन मजदूर	कमिशनर कॉलोनी मुरैना

**मध्य प्रदेश शासन**  
**जिला जनसंपर्क कार्यालय मुरैना (म.प्र.)**  
**सूचना का अधिकार अधिनियम ४.१ (बी) (१०) के तहत जानकारी**  
**बिन्दु क्रमांक—१०**

कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों/नियोजितों के पारिश्रामिक/परिलब्धियों/कम्पनसेशन संबंधी  
विवरण

स.क्र.	नाम अधिकारी/कर्मचारी/नियोजित	पारिश्रामिक/परिलब्धियों	कम्पनसेशन
१	श्री रवि शंकर शर्मा	२०८०३/-	चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता
२	श्री एन.के. गौरी	९७८९/-	चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता
३	श्री रामनिवास सिंह टुण्डेलकर	५९२९/-	चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता
४	श्री मुन्ना खाँ	७६३२/-	चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता
५	श्री मातादीन	६९६४/-	चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता
६	श्री राजेन्द्र कुमार	४६४१/-	चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता, वर्दी
७	श्री अब्दुल जलील खाँ	५०२०/-	चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता वर्दी
८	श्री ऐसेन्द्र सिंह भदौरिया	११५४/-	—

**मध्य प्रदेश शासन**  
**जिला जनसंपर्क कार्यालय मुरैना (म.प्र.)**  
**सूचना का अधिकार अधिनियम ४.१ (बी) (११) के तहत जानकारी**  
**बिन्दु क्रमांक—११**  
**कार्यालय के वार्षिक बजट एवं व्यय संबंधी विवरण**

स.क्र.	बजट शीर्ष	कार्य विवरण	वर्ष	अलोकेशन (प्राप्त बजट)	व्यय
१	३२—२२२०	वेतन—भत्तों एवं समस्त कार्यों हेतु (३०.०९.२००५ तक की स्थिति)	२००५—०६	९,९८, ५००/-	५,८५,०५१/-

**मध्य प्रदेश शासन**  
**जिला जनसंपर्क कार्यालय मुरैना (म.प्र.)**  
**सूचना का अधिकार अधिनियम ४.१ (बी) (१२) के तहत जानकारी**  
**बिन्दु क्रमांक—१२**

योजनाओं एवं हितग्राहियों संबंधी जानकारी

- |   |  |
|---|--|
| अ— योजनाओं की सूची —                    | इस कार्यालय द्वारा कोई योजना या कार्यक्रम संचालित नहीं किया जाता है। अतः जानकारी निरंक है। |
| ब— हितग्राहियों के चयन के —<br>माप दण्ड | इस कार्यालय द्वारा कोई योजना या कार्यक्रम संचालित नहीं किया जाता है। अतः जानकारी निरंक है। |
| स— विस्तृत विवरण :—                     | इस कार्यालय द्वारा कोई योजना या कार्यक्रम संचालित नहीं किया जाता है। अतः जानकारी निरंक है। |

मध्य प्रदेश शासन  
जिला जनसंपर्क कार्यालय मुरैना (म.प्र.)  
सूचना का अधिकार अधिनियम ४.१ (बी) (१३) के तहत जानकारी  
बिन्दु क्रमांक—१३  
प्राप्तकर्ताओं तथा रियायतों/सहूलियतों का विवरण सूचीबद्ध रूप में

इस कार्यालय द्वारा कोई योजना या कार्यक्रम संचालित नहीं किया  
जाता है। अतः जानकारी निरंक है।

**मध्य प्रदेश शासन**  
**जिला जनसंपर्क कार्यालय मुरैना (म.प्र.)**  
**सूचना का अधिकार अधिनियम ४.१ (बी) (१४) के तहत जानकारी**  
**बिन्दु क्रमांक—१४**

कार्यालयों में उपलब्ध सूचनाओं का विवरण

स.क्र.	सूचना का वर्ग	हार्ड कॉपी	इलेक्ट्रोनिक रूप में
१	स्थानीय समाचार पत्र पंजी	जिले से प्रकाशित समाचार पत्रों की जानकारी हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध है।	उपलब्ध है।
२	पत्रकार सुविधा नस्ती	पत्रकारों को शासन स्तर से दी जाने वाली सुविधाएँ हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध हैं।	उपलब्ध है।
३	समाचार पंजी / नस्ती	प्रतिदिन जारी होने वाले समाचार हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध हैं।	उपलब्ध है।
४	स्थापना एवं लेखा पंजियां/नस्तियाँ	स्थापना संबंधी विभिन्न कार्य व लेखा संबंधी विभिन्न देयक हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध हैं।	उपलब्ध नहीं।
५	भण्डार पंजी	कार्यालय की सामग्री सम्पत्तियाँ की जानकारी हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध है।	उपलब्ध नहीं।

मध्य प्रदेश शासन  
जिला जनसंपर्क कार्यालय मुरैना (म.प्र.)  
सूचना का अधिकार अधिनियम ४.१ (बी) (१५) के तहत जानकारी  
बिन्दु क्रमांक—१५  
नागरिकों को सूचना हेतु उपलब्ध सुविधाओं (पुस्तकालय, पब्लिक काउन्टर, संबंधी जानकारी)

शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, कार्यालय में मध्यप्रदेश एवं मुरैना जिले के संबंध में संदर्भ सामग्री उपलब्ध है, जो कि प्रत्येक जन सामान्य के लिये कार्यालय के प्रत्येक साधारण कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।

कार्यालय में पब्लिक काउन्टर उपलब्ध नहीं है।

प्रभारी—रामनिवास सिंह टुण्डेलकर

देखने का समय — कार्यालय के प्रत्येक साधारण कार्य दिवस में प्रातः १०:३० बजे से ५ बजे तक।

संपर्क दूरभाष क्रमांक — ०७५३२—२२६५१३

**मध्य प्रदेश शासन**  
**जिला जनसंपर्क कार्यालय मुरैना (म.प्र.)**  
**सूचना का अधिकार अधिनियम ४.१ (बी) (१६) के तहत जानकारी**  
**बिन्दु क्रमांक—१६**  
**कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी/पदनाम/कार्यानुभव संबंधी विवरण**

लोक सूचना अधिकारी का नाम	—	श्री रवि शंकर शर्मा
पदनाम	—	उप संचालक, जनसंपर्क
टेलीफोन मोबाइल नं.	—	०७५३२—२२६५१३
ई—मेल	—	<b><a href="mailto:promorena@sancharnet.in">promorena@sancharnet.in</a></b>
कार्य स्थल/पता	—	जिला जन संपर्क कार्यालय मारकण्डेश्वर बाजार, मुरैना
आम नागरिकों से मिलने का समय	—	कार्यालय के प्रत्येक साधारण कार्य दिवस में समय १०:३० से ५:३० बजे तक

मध्य प्रदेश शासन  
जिला जनसंपर्क कार्यालय मुरैना (म.प्र.)  
सूचना का अधिकार अधिनियम ४.१ (बी) (१७) के तहत जानकारी  
बिन्दु क्रमांक—१७

नागरिकों से संबंधित उपलब्ध सूचना संबंधी अन्य सुविधाओं की जानकारी

जानकारी निरंक